उत्तर प्रदेश शासन

आयुष अनुभाग-2

File No: 96-2099/1661/2019

लखनऊ : दिनांक 27 अक्टूबर, 2021

शुद्धि-पत्र

राज्य आयुष मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 की कार्ययोजना के सापेक्ष अवशेष राज्यांश की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अवमुक्त किये जाने सम्बन्धी शासन के पत्र संख्या-20/2021/आ0मि0-174/96-आयुष-2-2021-39/2016 टी.सी. दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 के पृष्ठांकन के क्रमांक-5 में त्रुटिवश वित्त नियंत्रक, होम्योपैथ निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ अंकित हो गया है, के स्थान पर अब वित्त नियंत्रक, आयुर्वेद निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ पढ़ा व समझा जाय। शेष शासनादेश एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित हुआ समझा जाय।

भवदीय,

(लक्ष्मण सिंह)

संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. संयुक्त सचिव/निदेशक, आयुर्वेद, योगा एवं नैचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी मंत्रालय, आयुष भवन, बी ब्लाक, जी0पी0ओ0 काम्पलेक्स, आईएनए, नई दिल्ली।
3. मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य आयुष सोसाइटी, लखनऊ।
4. निदेशक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, आयुर्वेद निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7. वित्त अधिकारी, राज्य आयुष सोसाइटी, उ0प्र0 लखनऊ।
8. वित्त (वित्त नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 एवं आयुष अनुभाग-1
9. गार्ड फाइल।

d by लक्ष्मण सिंह
27-10-2021 15:48:38
on: Approved